

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 अप्रैल 2026 — वैशाख 2, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/3022/2025-HOUSING/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23—क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना, 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण

अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में	अधिनियम की धारा 23(क) के तहत उपांतरण
Clause 18.5.2.2 Industrial Zone c) The Industrial Sub-division Shall Provide for : i. Minimum 10% of the area to be reserved as recreational and green belt. If the area of the plot designated for recreation is more than 1500 sq.mts the additional area can be used for parking purpose.	Clause 18.5.2.2 Industrial Zone c) The Industrial Sub-division Shall Provide for : i. Within industrial parks, minimum 5% of the area to be reserved as recreational/open space in the layout. Further 5% recreational/open will be reserved within the development plots of Industrial area where approval of layout is mandatory. For the industrial plots not within industrial parks, minimum 10% of the area to be reserved as recreational/ open space. If the area of the plot designated for recreation is more than 1500 sq.mts the additional area can be used for parking purpose. Maximum 10% of the area at the sector level shall be provided for housing for workers.

2. उक्त उपांतरण विकास योजना में निहित विकास नियमन में संशोधन हेतु है।

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना, 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना, 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.